न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी / अभियुक्त

लक्ष्मण माली पुत्र श्री मीठा लाल माली, विक्रेता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स प्रवीण डेयरी, तरतोली रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही

स्थाई पताः मालीवास, राम मन्दिर के पास, किवरली, तह0 देलदर, जिला– सिरोही

F.S.S.Act Case No. 89/2025

"अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा– 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

प्रतिवादी लक्ष्मण माली

–: निर्णय :– **दिनांक 03 फरवरी, 2026**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी अभियुक्त के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत द्वारा दिनांक 17–5–2025 को मैसर्स प्रवीण डेयरी, तरतोली रोड़, आबूरोड, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण माली पुत्र श्री मीठा लाल माली, निवासी– मालीवास, राम मन्दिर के पास, किवरली, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) का नमूना संख्या S-2713, निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसुर के विश्लेषण प्रमाण पत्र क्रमांकः 1406F/FSSA/2025 दिनांक 24–10–2025 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी अभियुक्त पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी लक्ष्मण माली, इस न्यायालय में नियत सुनवाई तिथि 03–2–2026 को उपस्थित हुआ एवं जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी लक्ष्मण माली को आज ही सुना गया। जिसने अनुरोध किया कि उसने अमूल गोल्ड का दूध डेयरी में विक्रय हेतु लाया था जिसके पैकिंग पाउच को खोलकर दूध का सेम्पल लिया गया। वह पार्लर में व्यवसाय करता है और व्यापार छोटा है। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

(3) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 17–5–2025 को 10–00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स प्रवीण डेयरी, तरतोली रोड़, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी लक्ष्मण माली पुत्र श्री मीठा लाल माली, निवासी– मालीवास, राम मन्दिर के पास, किवरली, तहसील–देलदर, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स प्रवीण

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

डेयरी, तरतोली रोड़, आबूरोड के निरीक्षण के दौरान मैसर्स प्रवीण डेयरी, तरतोली रोड़, आबूरोड की दुकान के अन्दर एक एल्युमिनियम के ड्रम में लगभग 20 लीटर मिक्स मिल्क (लुज), आमजन को बिक्री हेतु रखा हुए पाया, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण माली को गवाह श्री प्रवीण माली पुत्र श्री मीठालाल माली, तरतोली रोड़, अम्बिका कॉलोनी, आबूरोड़ के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने मैसर्स प्रवीण डेयरी, तरतोली रोड़, आबूरोड की दुकान के अन्दर एक एल्युमिनियम के ड्रम में आमजन को बिक्री हेतु रखे हुये लगभग 20 लीटर खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) में से 2 (दो) लीटर मिक्स मिल्क को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे व खाली बर्तन में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 120/– (रुपये एक सौ बीस मात्र) प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण माली को नकद अदा कर क्रय किया एवं खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा मिक्स मिल्क (लुज) को प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी व खाली प्लास्टिक बोतलों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं मिक्स मिल्क की चारों नमूना बोतलों में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर चारों नमूना बोतलों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2713, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी लक्ष्मण माली व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) की चारों नमूना बोतलों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और खरीदशुदा मिक्स मिल्क (लुज) की चारों नमूना बोतलों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण माली तथा उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण माली व उक्त गवाह तथा श्री मुकेश प्रजापत, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां, दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत ने दिनांक 19–5–2025 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, श्री प्रवीण कुमार, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 17–5–2025 को ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश प्रजापत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स प्रवीण डेयरी, तरतोली रोड़, आबूरोड, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता लक्ष्मण माली पुत्र श्री मीठा लाल

......पेज तीन पर

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

माली, निवासी– मालीवास, राम मन्दिर के पास, किवरली, तह0 देलदर, जिला– सिरोही से खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) के नमूना संख्या S-2713 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./882/Act/2025/882 दिनांक 27–5–2025 में खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी लक्ष्मण माली द्वारा खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) के नमूना संख्या S-2713 के दूसरे भाग की रेफरल लेब से जांच कराने हेतु अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) द्वारा खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) के नमूना संख्या S-2713 के द्वितीय भाग को जांच हेतु निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर को भिजवाया गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर से उक्त खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) के नमूना संख्या S-2713 की प्राप्त विश्लेषण जांच प्रमाण पत्र नम्बर 1406/FSSA/2025 दिनांक 24–10–2025 में खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क का नमूना संख्या S-2713, अमानक (sub-standard) पाया गया। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी लक्ष्मण माली पुत्र श्री मीठा लाल माली, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स प्रवीण डेयरी, तरतोली रोड़, आबूरोड, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत शास्ति (Penalty) योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मिक्स मिल्क (लुज) (नमूना संख्या S-2713) के विक्रय हेतु प्रतिवादी लक्ष्मण माली पुत्र श्री मीठा लाल माली, प्रोपराईटर, मैसर्स प्रवीण डेयरी, तरतोली रोड़, आबूरोड, जिला– सिरोही, स्थाई पताः मालीवास, राम मन्दिर के पास, किवरली, तहसील– देलदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी लक्ष्मण माली पुत्र श्री मीठा लाल माली, प्रोपराईटर एवं विक्रेता, मैसर्स प्रवीण डेयरी, तरतोली रोड़, आबूरोड, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये।

निर्णय आज दिनांक 03 फरवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
सिरोही
(न्याय निर्णयन अधिकारी)